भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 144
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल नुकसान राहत
***144. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत महाराष्ट्र में किसानों को फसलों के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु राहत के रूप में प्रदान की गई कुल धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में शिरूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक योजना के अंतर्गत किसानों से इस राहत और बीमा दावों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने दावे सफलतापूर्वक निपटाए गए और कितना भुगतान किया गया है;
(ग) क्या सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एसडीआरएफ के अंतर्गत दावों के निपटान में होने वाले विलंब की जानकारी है;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और समय पर और पारदर्शी तरीके से मुआवजा देना सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह चित्रों, ड्रोन और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित इस प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की व्यापक समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नुकसान राहत" के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) से (ड़) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, भुगतान किए गए दावों की संख्या और लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (NPDM) के अनुसार अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के रूप में उपलब्ध निधियों से राहत उपाय करती हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में SDRF के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। SDRF और NDRF के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के रूप में।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में SDRF के तहत जारी किए गए केंद्रीय और राज्य सरकार के हिस्से सहित आवंटन का विवरण और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित SDRF के तहत आवंटन	जारी किए गए SDRF में केंद्र सरकार का हिस्सा
2022-23	3608.80	2706.40
2023-24	3788.80	2841.60
2024-25	3978.40	2984.00

(ग) और (घ): बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान, पूर्व में दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जो मुख्यतः (क) **सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी करने (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच परिणामी विवादों आदि से संबंधित** थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित हुए दावों को योजना के प्रावधानों के अनुसार समाधान करके निपटान किया जाता है।

सरकार ने PMFBY के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** को सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के डायरेक्ट ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसानों के वैयक्तिक विवरण को अपलोड/प्राप्त करने तथा किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण करने सहित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने हेतु डेटा के सिंगल सोर्स के रूप में विकसित किया है।
- दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो NCIP के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से पृथक कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए ESCROW खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **CCE-Agri ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स- (CCE) डेटा को कैप्चर करने और इसे NCIP पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देने, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- रबी 2025-26 से किस्तों में भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं नुकसान के वस्तुगत आकलन तथा पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

- **YES-TECH (टेक्नॉलजी पर आधारित यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम)**- यह तकनीक, धीरे-धीरे रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान तकनीक की ओर बढ़ने के लिए है ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। इस पहल की शुरूआत खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए की गई थी

जिसमें उपज अनुमान में 30% वेटेज अनिवार्य रूप से YES-TECH से प्राप्त उपज को दिया जाता है। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

- **WINDS (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)**- के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स (AWS) और ऑटोमैटिक रेन गेजेज (ARG) नेटवर्क की स्थापना जी.पी. और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के विद्यमान नेटवर्क से 5 गुना बेहतर है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समन्वय करते हुए डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी और शेयरिंग के साथ ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स और ऑटोमैटिक रेन गेजेज के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में फीड किया जाएगा। WINDS, न केवल YES-TECH के लिए बल्कि सूखा और आपदा के प्रभावी प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

(ड़): चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) जैसे स्तरीकृत (स्ट्रैटिफाइड) शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, जिनके तहत वे शिकायतों की सुनवाई करेंगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा करेंगी।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) भी विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों/अध्ययनों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। अनुभव और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर PMFBYके प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें।

विभाग सभी हितधारकों के साप्ताहिक वीडियो सम्मेलनों, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी करता है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: PMFBY के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक दिनांक 31.12.2025 तक महाराष्ट्र में नामांकितत किसान आवेदनों की संख्या, भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण।			
जिले (महाराष्ट्र)	किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित आवेदन
	(संख्या में)	(रु. करोड़ में)	(संख्या में)
अहमदनगर	38,17,306	1,532.83	14,04,005
अकोला	15,09,375	547.27	7,20,544
अमरावती	13,28,986	448.78	4,99,859
बीड	69,76,040	1,312.31	30,15,153
भंडारा	6,62,669	10.12	24,750
बुलढाणा	24,98,998	1,347.02	10,18,832
चंद्रपुर	7,77,444	273.65	1,75,973
छत्रपति संभाजीनगर	36,63,271	957.52	17,02,264
धराशिव	10,48,783	291.37	4,50,650
धुले	7,02,292	216.37	2,75,695
गढ़चिरौली	2,42,253	10.80	15,079
गोंदिया	4,72,895	14.46	35,154
हिंगोली	17,37,824	418.64	9,51,867
जलगांव	14,88,432	2,261.07	9,04,804
जालना	39,36,861	1,239.87	18,11,797
कोल्हापुर	1,54,563	12.49	19,785
लातूर	36,20,229	1,035.08	14,65,479
नागपुर	6,43,104	222.76	1,84,494
नांदेड़	44,19,454	1,408.35	29,18,368
नंदुरबार	2,84,900	195.67	1,21,700
नासिक	17,32,501	1,198.43	7,66,693
उस्मानाबाद	21,96,566	944.40	10,68,572
पालघर	1,36,440	79.06	22,109
परभणी	31,63,696	1,177.23	17,61,316
पुणे	6,93,420	82.61	1,76,860
रायगढ़	1,30,512	74.56	27,528
रत्नागिरी	1,42,480	289.92	99,895
सांगली	9,31,201	236.05	3,35,404
सतारा	7,17,918	116.63	2,29,422
सिंधुदुर्ग	1,97,003	250.17	1,20,369
सोलापुर	22,08,381	732.58	7,88,639
ठाणे	2,22,134	57.73	50,207
वर्धा	6,01,219	276.36	2,45,610
वाशिम	14,64,487	542.47	7,79,575
यवतमाल	24,30,726	805.32	14,54,098
कुल (महाराष्ट्र)	5,69,54,363	20,619.92	2,56,42,549

*****